न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/81 /11	22.02.2011	29.06.2018

उनवान

1. मिजाज खां पुत्र श्री मामूरा खां,
2. अजमत खां पुत्र श्री मामूरा खां, जाति मेव निवासी ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. महबूब खां पुत्र श्री नूरा खां जाति भटियारा निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खाता सं0 485 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.28, 316 रकबा 0.27 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी असल प्रतिवादी सं0 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। हम वादीगण प्रश्नगत आराजीयात पर अपने बुजुर्गो के समय से काबिज दाखिल चले आ रहे है। प्रश्नगत आराजीयात पर हम वादीगण का समान भाग पर 40–50 वर्षो से कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रश्नगत आराजीयात का आवंटन असल प्रतिवादी सं0 1 को गलत प्रकार से किया गया है। प्रश्नगत आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादी सं0 1 काबिज दाखिल नही रहा है। प्रश्नगत आराजीयात से असल प्रतिवादी सं0 1 बेकब्जा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत असल प्रतिवादी सं0 1 के काश्तकारी अधिकारात अवसान हो चुके है और हम वादीगण का प्रश्नगत आराजीयात पर मुखालफाना कब्जा(एडवर्स पजेशन) होने से खातेदारी अधिकारात प्रदभूत हो चुके है जिसके हम वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रश्नगत आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खडी हुई है। विवादित आराजी का भूमि धारक

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खड़ी हुई है ।

3. यह है कि विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान सरकार है कस्टोडियन विभाग नही है । इसलिए यह वाद पत्र इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का वादी

राजस्थान सरकार है कस्टोडियन विभाग नही है। इसलिए यह वाद पत्र इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का वादी द्वारा प्रस्तुत है। वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा राजस्व रिकार्ड से असल प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज गैरखातेदार के इन्द्राज को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज किया जायें।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री घोषणात्मक वो दुरूस्त इन्द्राज इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि आराजी खाता सं0 485 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.28, 316 रकबा 0.27 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर पर हम वादीगण का समान भाग पर मुखालफाना कब्जा होने के कारण, असल प्रतिवादी सं0 1 बेकब्जा होने से उसके नाम का अंकन कलमजन किया जाकर हम वादीगण को प्रश्नगत आराजीयात का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में तदानुसार दरामद कराया जावें। और प्रतिवादी सं0 1 को इस कदर पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विधिवत् तामिल व अखबार साया के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। तत्पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी असल प्रतिवादी सं0 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण विवादित आराजीयात पर अपने बुजुर्गो के समय से काबिज दाखिल चले आ रहे है। प्रश्नगत आराजीयात पर वादीगण का समान भाग पर 40–50 वर्षो से कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रश्नगत आराजीयात का आवंटन असल प्रतिवादी सं0 1 को गलत प्रकार से किया गया है। प्रश्नगत आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादी सं0 1 काबिज दाखिल नही रहा है। प्रश्नगत आराजीयात से असल प्रतिवादी सं0 1 बेकब्जा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत असल प्रतिवादी सं0 1 के काश्तकारी अधिकारात अवसान हो चुके है और वादीगण का प्रश्नगत आराजीयात पर मुखालफाना कब्जा(एडवर्स पजेशन) होने से खातेदारी अधिकारात प्रदभूत हो चुके है। प्रश्नगत आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खडी हुई है। विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खड़ी हुई है ।

3. यह है कि विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान सरकार है कस्टोडियन

सरकार है कस्टोडियन विभाग नही है। इसलिए वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा राजस्व रिकार्ड से असल प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज गैरखातेदार के इन्द्राज को हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी असल प्रतिवादी सं0 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण विवादित आराजीयात पर अपने बुजुर्गो के समय से काबिज दाखिल चले आ रहे है। वादीगण का समान भाग पर 40–50 वर्षो से कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रश्नगत आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादी सं0 1 काबिज दाखिल नही रहा है। प्रतिवादी सं0 1 की तामिल अखबार साया से करने के बाबजूद भी उपस्थित नही हुए। प्रश्नगत आराजीयात से असल प्रतिवादी सं0 1 बेकब्जा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत असल प्रतिवादी सं0 1 के काश्तकारी अधिकारात अवसान हो चुके है और वादीगण का प्रश्नगत आराजीयात पर मुखालफाना कब्जा(एडवर्स पजेशन) होने से खातेदारी अधिकारात प्रदभूत हो चुके है। प्रश्नगत आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खडी हुई है। विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान सरकार है कस्टोडियन विभाग नही है। वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता सं0 485 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.28, 316 रकबा 0.27 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को समान भाग का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि **हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम समान भाग का खातेदार दर्ज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़

आराजीयात पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खड़ी हुई है ।

3. यह है कि विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान सरकार है कस्टोडियन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/81 /11	22.02.2011	29.06.2018

उनवान

1. मिजाज खां पुत्र श्री मामूरा खां,
2. अजमत खां पुत्र श्री मामूरा खां, जाति मेव निवासी ग्राम चण्डीगढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. महबूब खां पुत्र श्री नूरा खां जाति भटियारा निवासी ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खाता सं0 485 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.28, 316 रकबा 0.27 हैक्ट0 कुल किता 2 रकबा 0.55 हैक्ट0 वाके ग्राम निवाली तहसील रामगढ जिला अलवर से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को समान भाग का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)
उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

... प्रन्नगत
... पर वादीगण द्वारा बोई हुई फसल भी खड़ी हुई है ।
... कि विवादित आराजी का भूमि धारक राजस्थान सरकार है कस्टोडियन